संख्या: 36/2019/2760/12-2-2019

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 26 सितम्बर, 2019

विषय: कृषि क्षेत्र में पोषक तत्वों के सन्तुलित उपयोग को बढाये जाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम का क्रियान्वयन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृषि क्षेत्र के पोषक तत्वों के सन्तुलित उपयोग को बढाये जाने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में रबी सीजन में माह सितम्बर एवं अक्टूबर तथा खरीफ सीजन में माह मई एवं जून में जागरूकता कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रबी 2019 के अन्तर्गत दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 को प्रदेश के समस्त जनपदों में निम्न स्तरों पर कार्यक्रम का संचालन कराया जाना सुनिश्चित करें:-

(1) कृषक जागरूकता कार्यक्रम (न्याय पंचायत स्तर)।
(2) विकास खण्ड स्तरीय कृषक गोष्ठी।
(3) जनपद स्तरीय कृषक गोष्ठी/कृषि प्रदर्शनी।
(4) राज्य स्तरीय कृषक गोष्ठी/कृषि प्रदर्शनी।
(5) कृषि प्रदर्शन।
(6) फील्ड दिवस।
(7) कृषक वैज्ञानिक संवाद।
(8) फार्म स्कूल।
(9) द मिलियन फार्मस स्कूल (किसान पाठशाला)।
(10) कृषक भ्रमण कार्यक्रम।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. उक्त कार्यक्रम पर आने वाला वित्तीय व्यय भार कृषि विभाग एवं उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थाओं द्वारा कार्य योजना के अनुसार वहन किया जायेगा।

4. कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृषि क्षेत्र में पोषक तत्वों के सन्तुलित उपयोग को बढाये जाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम का संचालन अपने निर्देशन में कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 36/2019/2760(1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: Misc Matters/JS(PS)/2019 दिनांक 16 अगस्त, 2019 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0/यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0/गन्ना संघ एवं औद्यानिक संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।